कार्यालय जनपद न्यायाधीश, चन्दौली

निविदा/टेण्डर सूचना

जनपद न्यायालय चन्दौली एवं वाह्य न्यायालय चकिया के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के C.L.No. 06/Admin-'B-VI' Section: Dated: Allahabad, 21.02.2013 के अधीन फोटो स्टेट मशीन क्रय किया जाना है। जिसकी आधिकारिक स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश चन्दौली दी जा चुकी है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय चन्दौली एवं वाह्य न्यायालय चकिया के लिए फोटो स्टेट मशीन की आवश्यकता है, फोटो स्टेट मशीन की छमता 25 से 30 कॉपी/मिनट, डुपलेक्स इन्टरनल मेमोरी, नेटवर्किंग प्रिन्टर, स्कैनर, फैक्स एवं लो मेनटेनेन्स कॉस्ट की होनी चाहिए।

प्रतिष्ठित फर्म अपने-अपने सीलबन्द निविदा दिनांक 05.10.2019, सांय 04.00 बजे तक केनद्रीय नजारत अनुभाग में जमा कर सकते हैं। निविदा में मशीन की विशिष्टताओं के साथ मशीन की गारन्टी/वारन्टी एवं टोनर के मूल्य आदि का उल्लेख करना आवश्यक है। निविदा हेतु धरोहर राशि रुपये 10,000/- जनपद न्यायाधीश चन्दौली के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट या नकद रुप से केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा करना होगा। निविदा स्वीकृति न होने की दशा में उक्त धनराशि वापस कर दी जायेगी। निविदा दिनांक 10.10.2019 को सांय 04.30 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलने के वक्त फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश के अधीन होगी। निविदा की विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक बेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है।

28/9/19

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.)
अध्यक्ष, क्रय समिति,
चन्दौली।

शर्ते:-

1. किसी भी फर्म/प्रतिनिधि का टेंडर पास होने के उपरांत सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरुप न होने पर किसी भी कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के टेंडर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई वाद दाखिल नही किया जा सकता।
3. टेंडर में उल्लिखित सामग्रियों की संख्या घटायी/बढायी जा सकती है।